न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारीः— श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस)

प्रकरण संख्या 51/2025

बउनवान

सरकार जर्ये संतोष कुमार मीणा, प्रवर्तन निरीक्षक, (बारां) (प्रार्थी)

बनाम

श्री प्रमोद मिस्त्री पुत्र श्री रामकल्याण गुर्जर उम्र 42 निवासी लंका कॉलोनी बारां

(अप्रार्थी)

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत

उपस्थिति :— 1. पेरोकार रसद (प्रार्थी)

निर्णय दिनांक 27.08.2025

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 14.11.2024 को घरेलू गैस सिलेण्डरों के बढते व्यावसायिक दुरूपयोग की शिकायत के क्रम मैं प्रार्थी हमराह श्री धीरज कुमार मीणा, प्रवर्तन निरीक्षक कॉलेज रोड़ फलमंडी के पास में स्थित प्रमोद मारूति वर्कशॉप पर पहुंचे। मौके पर श्री प्रमोद मिस्त्री पुत्र श्री रामकल्याण गुर्जर उम्र 42 निवासी लंका कॉलोनी बारां उपस्थित मिले जिनके सामने जांच की गई। जांच में मौके पर घरेलु गैस सिलेण्डर का वाहन में अवैध रिफलिंग किया जाना पाया गया। इसलिये द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 का उल्लंघन पाये जाने पर मौके पर 3 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं एक रिफलिंग मशीन को जब्त सरकार कर रूबरू मैसर्स राज एचपी गैस एजेन्सी की सुपुर्दगी में दिया जाकर सुपुर्दगीनामा लिखा गया।

इस प्रकार अप्रार्थी का यह कृत्य राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन व नियत्रंण) आदेश 1990 के खण्ड 3(1) तथा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3(2) का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः उपरोक्तानुसार जब्तशुदा गैस सिलेण्डर एवं रिफलिंग मशीन को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत राजसात की कार्यवाही कर निस्तारण फरमावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को धारा 6(बी) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी स्वंय उपस्थित हुआ। अप्रार्थी ने जवाब पेश नहीं करना तथा सीधे बहस करना चाहा।

हमने बहस उभयपक्ष पेरोकार रसद एवं अप्रार्थी की सुनी।

दौराने बहस पेरोकार रसद ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी ने घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग कर राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन व नियत्रंण) आदेश 1990 के खण्ड 3(1) तथा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3(2) का उल्लंघन किया है। अतः जब्तशुदा 3 गैस सिलेण्डर एवं एक रिफलिंग मशीन को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत राजसात किये जाने के आदेश फरमावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.09.16 11:10:55 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज॰)

दिनांक 14.11.2024

दौराने बहस अप्रार्थी स्वंय ने कथन किया कि वह व्यावसायिक गैस सिलेण्डर से ही [illegible] में गैस रिफलिंग करता है। दिनांक 14.11.2024 को व्यावसायिक गैस सिलेण्डर खत्म होने तथा एक साथ तीन वाहन का रिफलिंग हेतु आ जाने के कारण घरेलू गैस सिलेण्डर से गैस रिफलिंग कर दी। भविष्य में अप्रार्थी कभी भी घरेलू गैस सिलेण्डर का दुरूपयोग नहीं करेगा। अतः प्रार्थी के विरूद्ध नोटिस निरस्त फरमाया जावे।

हमने सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अप्रार्थी स्वंय ने दौराने बहस घरेलू गैस सिलेण्डर से वाहन में रिफलिंग किया जाना स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

परिणामस्वरूप प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर, जिला रसद अधिकारी, बारां को निर्देश दिये जाते है कि जप्तशुदा HPCL गैस सिलेण्डर नम्बर (1) 271902, HPCL गैस सिलेण्डर नम्बर (2) 4181245, HPCL गैस सिलेण्डर नम्बर (3) 240357 का उपयोग व्यावसायिक कार्य हेतु किया गया है, इसलिये अप्रार्थी/सुपुर्दगीदार से जप्तशुदा गैस सिलेण्डर की सिक्योरिटी राशि मय जुर्माना राशि प्रति गैस सिलेण्डर 2500/– रूपये यानि 3 गैस सिलेण्डर की कुल 7500/– रूपये लिये जाकर जप्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डर को वापस लौटाया जावे।यदि अप्रार्थी जप्तशुदा गैस सिलेण्डर को उक्तानुसार राशि जमा करवा कर वापस नही लेता है तो अप्रार्थी से व्यवसायिक गैस की दर से घरेलू गैस सिलेण्डर की अन्तर राशि नियमानुसार प्राप्त करें एवं प्राकृतिक गैस विभाग द्वारा अपने पत्र दिनांक 22.6.07 द्वारा राज्य सरकार के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, जयपुर के प्रदत्त निर्देशानुसार उक्त जप्तशुदा गैस सिलेण्डर को संचालक मैसर्स राज एचपी गैस एजेन्सी को कीमत पर दिया जाकर उक्तानुसार प्राप्त राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करवायी जावें। तथा जब्तशुदा एक रिफलिंग मशीन को खुली नीलामी में नीलाम किया जाकर प्राप्त राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 27.08.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर
बारां (राज०)

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलेक्टर,बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.09.16 11:10:55 IST
Reason: SelfAttested